

ही के के जब के दुसरे मूल की  
ग्री. अर्थात् सं 5 की तलबी हेतु दि  
२.३.२१ को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौरा)

२.३.२१

आज पत्रावली पेश हुई वकील  
उभय पक्ष उपस्थित। अर्थात् सं 5 की  
तलबी हेतु तलबाना सम्मन पेश करे। पत्रावली  
बाद तलबी दि २६.३.२१ को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौरा)

दिनांक 26-03-2021

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार  
बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे  
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
के प्रति गंभीर नहीं है तथा  
चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी  
व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी  
अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12-07-2019 निरस्त की जाती  
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौरा)